ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-7* October-2020
Anthology : The Research

मुगल काल में अजमेर सूबे का भू–राजस्व प्रबन्ध
Land Revenue Management of Ajmer Province During Mughal Period

Paper Submission: 15/10/2020, Date of Acceptance: 25/10/2020, Date of Publication: 26/10/2020

लता अग्रवाल
सह–आचार्य,
इतिहास विभाग,
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

राजपूताना की अरावली पर्वतमालाओं की तलहटी में स्थित अजमेर विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप के कारण सामरिक दृष्टि से तथा उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गो पर स्थित होने के कारण इसका राजनीतिक महत्त्व अधिक रहा। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूताना की रियासतों में राजनीतिक एकता का सूत्रपात करने के लिए अजमेर को प्रशासनिक इकाई का स्वरूप प्रदान किया गया। व्यापार –वाणिज्य को समृद्ध करने के लिए भूराजस्व प्रशासन व कर व्यवस्था को भूमि की प्रवृत्ति व उर्वरा शक्ति के अनुरूप खालसा, हवाला, जागीर, भौम, शासन और चर्णोट भूमिकर वसूल किया गया। इसी प्रकार जजिया,खम्स,खिराज व अन्य कर व्यवस्था लागू कर इनकी आय से राजकोष की समृद्धि निरन्तर बढ़ने लगी। अजमेर की केन्द्रीय स्थिति राजपूताना के अन्य भागों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई। भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नये भूमि बंदोबस्तों के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग अथवा गोचर भूमि को भी कृषि योग्य में परिवर्तित करने से राज्य की आय में निरन्तर वृद्धि होने लगी जो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व व विस्तार का कारण बन गया। कृषि उत्पादन तथा भू–राजस्व नीति ही राज्य की आर्थिक समृद्धि में आय का अधिकतम प्राप्त हिस्से का मूल आधार रहा।

Located in the foothills of the Aravalli ranges of Rajputana, Ajmer has a greater political significance in terms of its strategic geography and its strategic location in northern India. The Mughal emperor Akbar provided Ajmer as the administrative unit to usher in political unity in the princely states of Rajputana. To enrich trade and commerce, the Khalsa, Hawala, Jagir, Bhaum, Rajan and Charnot lands were recovered in accordance with the tendency of the land administration and the tax system. Similarly, by implementing Jiziya, Khams, Khiraj and other tax system, the income of their treasury continued to grow. The central position of Ajmer proved helpful in connecting trade with other parts of Rajputana. In order to increase the productivity of the land, the state's income began to increase steadily due to the public use through new land settlements or by converting the land to agricultural land, which led to the stability and expansion of the Mughal Empire. Agricultural production and land revenue policy were the basic basis of maximum received share of income in the economic prosperity of the state.

मुख्य शब्द : राजनीतिक–प्रशासनिक इकाई, भू–राजस्व व कर,राज्य आय, कृषि आर्थिक समृद्धि।
Political-Administrative Unit, Land Revenue And Taxes, State Income, Agricultural Economic Prosperity.

प्रस्तावना

प्राकृतिक अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित भौगोलिक वैशिष्ठ्य वातावरण की अवधारणा ने चौहान शासक अजयराज की अजमेर में भौतिक विकास की मनोवृत्ति को निर्धारित किया। सामरिक दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र ने साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहित कर चौहान शक्ति को सुदृढ़ व विस्तृत किया जिससे उत्तर–पश्चिम भारत की राजनीति केन्द्रीकृत होती गई।सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय योजना के अन्तर्गत चौहान राज्य की सीमाएँ उत्तर में मुस्लिम सत्ता,दक्षिण–पश्चिम में गुजरात, नागौर, दिल्ली, पंजाब, सिंध व मुल्तान तथा पूर्व में चन्देलों के राज्यों तक अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। 1192 ई. में तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में अजमेर क्षेत्र मुस्लिम सल्तनत की प्रशासनिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया। अप्रैल, 1526 में जहीर

उद–दीन मुहम्मद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की परन्तु जलालु–उद–दीन मुहम्मद अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्वता प्रदान कर मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया।

भारत में मुगल साम्राज्य का मूल आधार एक स्वशासित पद्धति थी। फलतः छोटे–छोटे राज्यों में विभक्त भारत मुगलकाल में एक राजनीतिक इकाई के रूप में प्रशासित हो सका।राजपूताना की रियासतों को प्रशासित व नियन्त्रित करने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर सूबे के विस्तार का मूल आधार मुगल प्रशासन के आय–व्यय के साधन में भू राजस्व प्रबंध था। जिसका प्रतिपादन परम्परागत व समयानुकूल राजस्व पद्धति के रूप में क्रियान्वित कर लागू किया गया। मुगल सम्राटों के वित्त प्रबंध का मूल उद्देश्य उस क्षेत्र का विकास करना, व्यापार– वाणिज्य को उन्नत करना तथा राजकोष को समृद्ध करना था। जिससे वे अपनी सैन्य प्रवृत्ति और विस्तार नीति को पुष्ट कर सके। मुगल प्रशासन मुख्यतया सेना पर केन्द्रित था। भारत में मुगल सम्राटों का वित्त स्वरूप प्रजा की समृद्धि और धर्म का संरक्षक था और गैर इस्लामी प्रजा के लिये राज्य का स्वामी या प्रशासक था। मुगल सम्राट अकबर ने 1558 ई. के बाद राजपूताना में अजमेर को एक राजनीतिक ईकाई के रूप में प्रशासित कर वित्त प्रबन्ध को भूमि प्रवृत्ति व उर्वरा शक्ति के अनुरूप व्यवस्थित कर कृषक व मुगल अधिकारियों के मध्य सीधा सम्बंध स्थापित किया। जिससे भू–राजस्व व्यवस्था समृद्ध हो सकी। भारत में मुगल वित्तिय प्रबन्ध कालान्तर में ब्रिटिश भू–राजस्व का आधार बना।

मुगल वित्त प्रबन्ध के चार उद्देश्य थे –

1. अजमेर को सुदृढ़ सैनिक केन्द्र बनाकर राजपूताना की रियासतों व गुजरात के विरूद्ध सैनिक अभियान कर मुगल साम्राज्य के प्रभाव में सम्मिलित करना था।
2. अजमेर को एक विस्तृत मुगल सूबे का स्वरूप प्रदान करने के लिये प्रारम्भ में राजपूतानें की 6 सरकारें–आमेर, बीकानेर, जोधपुर, रणथम्भौर, सिरोही व जैसलमेर आदि को सम्मिलित किया। जिससे बड़े पैमाने पर संकलित रूप में भू–राजस्व प्राप्त हो सकें। साथ ही वित्त–प्रबन्ध के प्रचलित भिन्न–भिन्न नियम समाप्त कर समान व्यवस्था लागू करना था। तथा
3. कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए सिंचाई साधनों को उपलब्ध कराना तथा भूमि को उर्वरा बनना था। जिसमें कुंए, बावड़ी और तालाबों का निर्माण करवाना प्रमुख था।
4. अजमेर सूबे से सटे आगरा, दिल्ली, मुल्तान, मालवा और गुजरात से होने वाले वाणिज्य पर नियंत्रण स्थापित करना था।

इस प्रकार मुगल साम्राज्य में प्राप्त होने वाले सकल भू–राजस्व का 1/4 भाग अजमेर सूबे से केन्द्रीय राजकोष में भेजा जाता था।[1] यह सूबा केन्द्रीय मुगल शासन का एक छोटा रूप था। सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य लगभग 15 सूबों में विभक्त था। जिनमें आय और क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर सूबा ही समृद्ध और विस्तृत था। अजमेर सूबे का सर्वोच्च अधिकारी साहिब–ए–सूबा. सूबेदार या नाजिम था जिसका सीधा संबंध मुगल सम्राट से था।[2]

मुगल भू–राजस्व व्यवस्था

अजमेर सरकार में जनजीवन का आधार कृषि व्यवस्था थी राजा व सामन्त भूमि की देख–रेख करते थे इसलिये वे भूपति थे।[3] जिन्हें भूमि प्रदान करने तथा बेदखल करने जैसे अधिकार प्राप्त थे। स्वामित्व की दृष्टि से भूमि छः वर्गों में विभक्त थी–खालसा, हवाला, जागीर, भौम, शासन और चणौंट।[4]

खालसा वह भूमि थी जो प्रशासन के सीधे स्वामित्व में रहती थी जिसमें राजस्व वसूल करने और लगान में छूट देने का कार्य सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में था। इस भूमि में बिस्वेदारी प्रथा[5] प्रचलित थी, जिसमें कृषक को कुएँ–बावड़ी–मेढ़ बन्दी अथवा अन्य निर्माण कार्य की स्वतन्त्रता थी। वह अपनी भूमि का स्वामी होता था उसके अधिकारों को बिस्वेदारी हक कहा जाता था। उसे भूमि से तभी बेदखल किया जाता था जब वह सरकार को राजस्व या लगान नहीं देता था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप के समय सम्राट के पास किसानों के लगान माफ करने की भी व्यवस्था थी।[6] अजमेर सरकार की भूमि पर सम्राट का स्वामित्व ही था। हवाला भूमि का वित्त प्रबन्ध हवलदार करते थे। जो सूबेदार या फौजदार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। हवलदार वह व्यक्ति होता था जो सैनिक सेवा देने के बाद शारीरिक रूप से सैनिक सेवा देने से असमर्थ होता था। भूमि पर उसका अधिकार वंशानुगत नहीं होता था। हवलदार को भूमि से प्राप्त आय का 5% भाग जागीदार को देना अनिवार्य थे। जो जागीदार द्वारा राजकोष में जमा कराया जाता था।

जागीरी भूमि प्रशासन की ओर से सैनिक सेवा या अन्य सेवाओं के उपलक्ष में सामन्तों व अन्य कर्मचारियों को दी जाती थी। जिन्हें मुगल दरबार में मनसबदारों की श्रेणी में भी स्थान दिया गया था। अजमेर में 66 जागीरें थीं जिसमें 240 गाँव सम्मिलित थे जिनका क्षेत्रफल 803.3 वर्गमील था। अकबर के समय वसूल किया जाने वाला वार्षिक राजस्व 1,14,129 रू0, जहाँगीर के समय 1,32,059 रू0, शाहजंहा के समय 1,47,000 रू0 तथा औरंगजेब के समय 1.50,128 रू0 राजस्व प्राप्त होता था।[7]

अजमेर सरकार में जागीरों का प्रशासनिक स्वरूप भिन्न–भिन्न था

(क) धार्मिक संस्थाओं के रख–रखाव के लिये दी जाने वाली जागीर जैसे– ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को अठारह गाँव–परबतपुरा, चांदसेन, ख्वाजापुर, मेसाना, धौलिया, भैरवार, कुर्डी, पिंचोलिया, कांकेरिया, तिलोरा, कणियाँ, बुधवाडा, कदमपुरा, किशनपुरा, गगवाना, तिलोनिया, केकरान और दाँतरा दिये गये। मीराँ साहिब दरगाह को तीन गाँव–डोरियाँ, सोमलपूर तथा केरियाँ आदि दिये गये। चिल्लापीर दस्तगीर को एक गाँव माखूपुरा, नाथद्वारा मन्दिर को एक गाँव भवानीखेड़ा, छत्री श्रीजीरावमन्दिर निम्बार्ककोट को दो गाँव लालीखेड़ा व भगनपुरा,

दूधारी पुण्यार्थ ट्रस्ट को एक गाँव नालशिवरी की जागीरें आदि प्रदान की गई।

(ख) व्यक्ति प्रदत्त जागीर – सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में प्रदत्त गाँव अथवा गावों के कुछ भाग जागीर के रूप में प्रदान किये जाते थे जिन में वंशानुगत अधिकार अन्तर्निहित थे। जिनका हस्तान्तरण अथवा क्रय–विक्रय नहीं किया जा सकता था। इस श्रेणी के अन्तर्गत बानेरी, आणेरा, नान्दला, दीवारा आदि गाँव पूर्ण रूप से तथा बोराज व हाथीखेड़ा गाँव के आधे भाग ही सम्मिलित थे।

(ग) समुदायों को प्रदत्त जागीरें

दरगाह ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के खादिम समुदाय को बीर, बेगर व बनुजी गांव तथा पुष्कर के ब्राह्मण समुदाय को पुष्कर व नान्दलिया आदि गाँव जागीर के रूप में दिये गये।[8]

भौम वह अधिकारी होता था जो राज्य की विभिन्न सेवायें करता था उसे प्रदान की भूमि से कोई राजस्व वसूल नही किया जाता था, और न ही उन्हें पैतृक अधिकारों से ही बेदखल किया जाता था।[9] जागीरदारी और खालसा अधिकारी के कार्यो से भौम के अधिकार भिन्न थे। भौम अपने गाँव का एक सशस्त्र सैनिक था जो लगान देने के स्थान पर सैनिक सेवायें देता था।[10] प्रशासनिक अधिकरियों के भ्रमण के समय उनके भोजन का भी प्रबन्ध करता था, यात्रियों की डाकूओं वे लूटेरों से रक्षा करता था, अपराधों से हुई क्षति की स्वंय पूर्ति करता था। उसे अपनी भूमि को प्रशासन की अनुमति के बिना हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। अजमेर सरकार में वह सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान रखता था।[11] शासन भूमि से होने वाली आय धर्मार्थ अनूदान के लिये निश्चित की गई थी जिससे होने वाली आय मन्दिरों, मठों, ब्राह्मणों फकीरों में वितरित की जाती थी।[12] चणौट वह भूमि थी जिस पर पशुओं के चरने के लिये चारा उगाया जाता था जिसे गोचर भी कहा जाता था।[13] अजमेर सूबे में उपज के आधार पर भूमि को तीन वर्गों में विभाजित किया गया था–

(क) चाही यानि सिंचित (ख) बारानी अर्थात असिंचित और (ग) बंजर।[14]

तालाब के निकट की भूमि कच्छ–गड्ढ़े–पोखर या बावड़ी के पास वाली डीमडू और गाँव के छौर पर स्थित भूमि को गोरमो कहा जाता था। कुछ परगनों में सिचाई साधनों से युक्त भूमि पीवल, पानी से भरी हुई भूमि कांकड आदि नामों से भी जानी जाती थी।[15] अजमेर के आसपास प्रायः रहट या चरस या चमड़े की टोकरियों से सिंचाई की जाती थी।[16] सर्दी में होने वाली उपज को सियालू (रबी) और गर्मी में होने वाली फसल को उन्हालू (खरीफ) कहा जाता था। अजमेर सूबे के परगनों में विभिन्न प्रकार की भूमि होने से और सिंचाई के साधनों में भिन्नता होने से उपज में समानता नहीं थी। रेगिस्तानी क्षेत्र में जौ, ज्वार, बाजरा, मूंग, मौठ, चावल तथा दक्षिण–पश्चिमी भाग में गेहूँ–चावल, सिंचाई के साथ वाले भागों में गेहूँ, चना, दालें, तिलहन तथा आसपास के क्षेत्रों में कपास–गन्ना–गुलाब आदि की फसलें बहुतायात में पाई जाती थीं।[17] इस प्रकार अकबर से औरंगजेब के काल तक अजमेर सरकार ने भू–राजस्व व्यवस्था से हुए परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगत थे। जिसमें अकबर ने परम्परागत व्यवस्था को ही लागू किया जबकि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण कृषक वर्ग शासक–सूबेदार तथा जागीदार के द्वारा शोषित होने लगा जिसका दुष्परिणाम भावी मुगल सम्राटों को पतन के रूप में भुगतना पड़ा।

कर व्यवस्था

राजपूताना में अजमेर मुगल प्रशासन का एक प्रमुख सूबा था। राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण अजमेर का सामरिक दृष्टि से महत्व था। इस सूबे में 25 परगनें होने के कारण मुगल सम्राट अकबर के लिये कर व्यवस्था लागू करना आवश्यक हो गया। राजनीतिक स्थायित्व के लिये आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रत्येक शासक के लिये आवश्यक होता था। इसलिये, मुगलकाल 1557–1707 ई. के मध्य कर व्यवस्था लागू कर सम्राटों ने परगनों में प्रचलित भिन्न–भिन्न करों की दरों और वसूली की नीतियों में समानता स्थापित करने के प्रयास किये। कर व्यवस्था का स्वरूप भूमि की प्रकृति और उपज के अनुरूप निर्धारित था।[18] राजपूत काल में कर स्वेच्छा से दिये जाते थे, बाद में सुल्तानों ने बल पूर्वक वसूल किये किन्तु, मुगलकाल में इन्हें सुनिश्चित व्यवस्था का आधार प्रदान कर दिया गया। जो मुगल प्रशासन का अन्तरंग भाग बन गई। मुगल काल में कर व्यवस्था तीन भागों में विभक्त थी– (1) मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला कर, (2) गैर इस्लामी प्रजा से लिये जाने वाला जजिया कर तथा (3) सामान्य कर–खम्स, खिराज व अन्य कर थे।

जकात

जकात का अर्थ है शुद्धिकरण। सल्तनत काल में कुरान के अनुसार धनी मुसलमानों की आय से निर्धन मूसलमानों की सहायतार्थ लिया जाने वाला कर जकात कहलाता था। यह कर कुल सम्पत्ति का 1/40 वां भाग अथवा 2.5% था कर से होने वाली आय गरीबों, फकीरों, हज करने वाले यात्रियों तथा दरगाह, मस्जिदों और मदरसों के निर्माण व मरम्मत में व्यय की जाती थी। यह शुद्ध रूप से धार्मिक कर था। अकबर ने अपने काल में जकात कर को समाप्त कर दिया था। वह राजकोष से गरीबों, फकीरों में सहायता के लिए धन वितरित करता था। अजमेर में दरगाह की मरम्मत तथा मस्जिदों के निर्माण के लिये राजकोष से 1562 ई. में 30,460 रू की राशि उपलब्ध करवाई गई।[19] जहांगीर ने अपने शासनकाल में आयातनिर्यात पर लगने वाले जकात कर को भी समाप्त कर दिया था।[20] किन्तु, औरंगजेब ने 1665 ई. के बाद जकात कर पुनः लागू कर कठोरता से वसूलने के आदेश दिये।[21] इस प्रकार जकात एक ऐसा कर था जो ईस्लाम धर्म के अनुरूप पूर्णतया निश्चित किया गया था। अकबर ने समन्वय और सौहार्द स्थापित करने के लिये ऐसे धार्मिक कर समाप्त कर दिये।

जजिया

कुरान के अनुसार यह गैर इस्लामी प्रजा से लिया जाने वाला कर था। रहने के अधिकार और प्रशासन की सुरक्षा प्रदान करने के बदले ब्राह्मणों से सल्तन्त काल में यह कर वसूल किया गया। फिरोजशाह तुगलक द्वारा

कठोरता से इस कर को वसूल करने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। हिन्दूओं के तीर्थस्थान पुष्कर की यात्रा पर 7 से 10% तक यह कर विशेष रूप से लगाया गया था। यह कर सम्पत्ति के आधार पर निर्धन लोंगो से 32 चांदी के टंक अथवा रूपये मध्यमवर्गीय लोगों से 40 चांदी के टंक और धनी लोगों से 48 चांदी के टंक प्रतिवर्ष वसूल किया जाता था।[22] अकबर ने मुगलकाल में मार्च, 1564 ई. में इस कर को समाप्त कर दिया।[23] वह इस बात से परिचित था कि राजपूतों के सहयोग के बिना मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। अर्थात्, राजपूतों की शक्ति का वह उनके विरूद्ध वे समानान्तर शक्ति के रूप में उपयोग करना था। साथ ही अकबर मुगल साम्राज्य को नवीन सैद्धान्तिक आधार प्रदान करने की दिशा में राज्य में परम्परावादी हिन्दू प्रधान समाज के धार्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता था। क्योंकि उसका राजनीतिक उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नीति से प्रेरित था।[24] 1679 ई. तक अकबर की इस नीति का सभी मुगल सम्राटों ने अनुकरण किया किन्तु, प्रमुख काजी ईनाम हुसैनी के उकसाने पर औरंगजेब ने इस कर को पुनः गैर इस्लामी प्रजा पर कठोरता से लागू किया गया था।[25] जजिया कर को तीन श्रेणी में विभक्त किया। (1) एक हजार दिरहम से अधिक सम्पत्ति रखने वाले समुदाय से 48 दिरहम (2) 200 से 1,000 दिरहम के मध्य सम्पत्ति रखने वाले समुदाय से 24 दिरहम, तथा 200 दिरहम से कम सम्पत्ति रखने वाले समुदाय से 12 दिरहम प्रति वर्ष जजिया कर के रूप में राशि वसूल की जाने लगी। औरंगजेब के काल में जजिया कर से राजकोष को होने वाली आय लगभग चार करोड़ रूपये होने के प्रमाण मिलते है।[26]

अजमेर सूबे में पुष्कर क्षेत्र में जजिया कर लगाया गया था। जिससे लगभग 15 से 20 हजार रू प्रतिमाह आय होने लगी।[27] मराठों ने इस कर के विरूद्ध विद्रोह भी किया।[28] जजिया कर की समाप्ति मुगल साम्राज्य के उत्थान का सहायक तत्व थी तो, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू करना मुगल साम्राज्य के पतन का आधार बना।

खम्स

युद्ध से प्राप्त लूट के माल को खम्स कहते है। इस्लामी कानून के अनुसार लूट के माल को 1/5 भाग राजकोष में जमा कराने तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों में वितरित करने का नियम था।[29] अकबर ने अपने सैनिक अभियानों में प्राप्त खम्स के 1/5 भाग से भी अधिक राशि को अपने राजकोष में रख लिया था जो इस्लामी कानून का उल्लंघन था।[30] 1580 ई. के बाद अकबर ने साम्राज्य के स्थायित्व के लिये सेना का पुनर्गठन किया तथा सैनिकों में मासिक नकद वेतन की प्रथा प्रारम्भ की। अभियानों से प्राप्त लूट के माल को राजकोष में जमा करवाया जाने लगा। फलतः खम्स नामक कर को मुगल सम्राटों ने वेतन प्रथा लागू कर समाप्त कर दिया।[31]

खिराज

यह एक भूमि कर था जो अधीनस्थ राजाओं, सामन्तों तथा जागीरदारों से सुरक्षा व्यय के रूप में वसूल किया जाता था। सल्तनत काल में राजपूत शासकों से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की स्थिति में यह कर लिया जाता था। किन्तु, अकबर दारा 1582 ई. के बाद भूमि की उपज के आधार पर अपने सभी सूबों में राजस्व की दरें निर्धारित कर दी गई थी, इसलिये खिराज कर नाम से वसूल की गई राशि का उल्लेख नही मिलता।[32] अन्य कर जो अजमेर सूबे में लगाये गये थे जैसे– पेशकश कर , नजर कर, टकसालकर, गढा धन कर, व्यापार कर, सम्पत्ति कर, जब्ती जुर्माना और अबवाव कर। पेशकश व नजर कर वह कर थे जो सूबेदार, फोजदार, कोतवाल से मिलने जाते समय नागरिकों द्वारा दिया जाता था या मुगल सम्राटों के अजमेर आगमन तथा अन्य रियासतों में शाही यात्रा पर जाने पर वहाँ के शासक या प्रजा द्वारा सम्राट से मिलने पर दी गई भेंट सम्मिलित थी। विशेष अवसरों पर मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली भेटों को नजराना पेश करते थे। मुगल अधिकारी अपनी पदोन्नती एवम् पद प्राप्ति के समय सम्राटों का नजराना पेश करते थे। जहांगीर ने अपना अधिकांश समय अजमेर में व्यतीत किया उसकी सेवा में अजमेर के मुगल अधिकारी मूल्यवान रत्न, सोने–चांदी के आभूषण, पोशाकें, नकद राशि व अन्य वस्तुओं के रूप में भेंट किये जिसमें साढ़े सत्रह लाख रूपये की भेंट की गई नकद राशि का उल्लेख जंहागीर ने अपनी आत्मकथा में भी किया।[33] 1615 ई. में ब्रिटिश व्यापारी सर थामस रॉ ने अजमेर में जंहागीर से मुलाकत करते समय शराब की बोतलों और बहुमूल्य नजरानों को दिये जाने के विवरण उपलब्ध हैं। अंग्रेज व पुर्तगाली व्यापारियों ने औरंगजेब को कई अवसरों पर लगभग दो लाख रूपये की राशि नजराने के रूप में दिये जाने के प्रमाण है।[34] अकबर ने खजान–ए–नजराना नाम से एक कोष की स्थापना की जो औरंगजेब तक बना रहा। इस खजाने में होने वाली आय शाही परिवारों पर ही व्यय की जाती थी। मुगल सम्राटों द्वारा अपराधी व अनुचित व्यवहार करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता था। वह जुर्माना सौ दाम से एक लाख दाम तक निर्धारित किया गया। इन करों से मुगल राजकोष को बड़े पैमाने पर आय होती थी।[35] शाहजहाँ काल में तो वर्ष नौ से बारह लाख रूपये की आय तथा औरंगजेब के काल में खिराज व अन्य कर से होने वाली आय लगभग सत्रह लाख रूपयें होने लगी थी।[36] सोने, चांदी व अन्य धातुओं की मुगल सम्राटों ने प्रशासन का एकाधिकार स्थापित किया था। सीसे, लोहे व नमक की खानों से निर्धारित कर वसूल किया जाता था। अजमेर से कच्चे लोहे को आगरा ले जाकर गलाने व ढ़लाई के कारखानों में शस्त्रों व बर्तनों का निर्माण किया जाता था। अबुल फजल ने सांभर में उत्पन्न होने वाले नमक पर लगाये करों का विवरण प्रस्तुत किया। एक मन नमक का मूल्य सौलह दाम, और सत्रह मन नमक अजमेर सूबे से बाहर ले जाते समय एक रूपया चुंगी लगाई जाती थी।[37]

इस प्रकार 1558 ई. से 1707 ई. के मध्य मुगल सम्राटों द्वारा समयानुसार करों की दरों का बढ़ाया एवम् घटाया जाता रहा। किन्तु, सभी करों की आय से राजकोष की समृद्धि निरन्तर बनी रही। निःसन्तान जमीदारों,

जागीरदारों की सम्पत्ति, लावारिस लोगों की सम्पत्ति को परिवारों, मुगल सेनाओं एवम् प्रशासनिक विभागों पर व्यय की जाती थी।

अध्ययन का उद्देश्य

1. .अजमेर के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन करना।
2. मुगलों की भू–राजस्व बंदोबस्त नीति का विश्लेषण करना।
3. .मुगलों की भू–राजस्व व्यवस्था के वर्गीकरण का मूल्यांकन करना।
4. मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में लागू कर नीति का अध्ययन करना।
5. .मुगल शासकों द्वारा राजपूताना की रियासतों के साथ राजनीतिक व आर्थिक संबंधों का अवलोकन करना।

निष्कर्ष

भू–राजस्व बंदोबस्त प्रशासन के आर्थिक समृद्धी का मूल आधार होता है।राज्य की अर्थव्यवस्था की सम्पन्नता प्रशासक की उदार या अनुदार नीति पर निर्भर होती है। कृषि भूमि से उत्पादित और उपज पर लगने वाला कर भू–राजस्व बंदोबस्त होता था। आइन–ए–अकबरी के अनुसार मुगल काल में भू–राजस्व अर्थात् उत्पादन का वह हिस्सा या भू–राजस्व द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण और न्याय व्यवस्था के निर्धारण हेतु लिया जाने वाला संप्रभुता शुल्क था।मुगल काल में सम्राट अकबर ने राजपूताना की रियासतों को नियन्त्रित व मुगल राजनीति के अनुरूप संचालन हेतु राजपूताना के केन्द्र में स्थित अजमेर को मुगल सूबा बनाया। हिन्दू–मुस्लिम सहिष्णुता और समन्वय नीति के आधार पर पुनर्गठित व स्वशासित भू–राजस्व प्रणाली व उदार करारोपण की नीति को लागू कर व्यापार –वाणिज्य को समृद्ध किया जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीतिक स्थायित्वता को विस्तार प्राप्त हुआ और साथ ही राजकोष के आर्थिक संवर्धन को संबल मिला। मुगल शासकों के द्वारा लागू भू–राजस्व बंदोबस्त शासकीय आर्थिक हित से प्रेरित उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *अबुल फजल, : आईन–ए–अकबरी, पृ. 112–113*
2. *सरकार जदुनाथ; मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 59*
3. *सिन्हा. आर. एच. सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ मेडीवल इण्डिया, दिल्ली, 1981 पृ. 198*
4. *शर्मा, गोपीनाथ; सोशल लाईफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ. 289*
   इस प्रथा में कृषकों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। कृषकों का पद ऊँचा होता था। कृषकों से तात्पर्य जमींदार या जागीरदार से था, जिन्हें अजमेर का सूबेदार या फौजदार नियुक्त करता था।
5. *अबुल फजल, पूर्वउद्धृत, पृ. 127*
6. *अहमद ख्वाजा निजामुद्दीन; तबकाते–अकबरी (अनुवादक) डॉ. अत्तर अब्बास रिजर्व और निगम, भाग–1 पृ. 94 –95*
   1592, 1593 और 1594 ई. में निरन्तर अनावृष्टि के कारण पड़े अकालों के समय अकबर व्यथित हुआ। आगरा की ईदगाह में नमाज अदाकर अल्लाह से अकाल से मुक्ति की प्रार्थना की। केन्द्र से 10 हजार की राशि 115 मन अनाज व अन्य खाद्य सामग्री अजमेर भेजी तथा बीकानेर के महाराजा रायसिंह (1574–1612 ई.) को अकाल राहत सामग्री भेजने के आदेश दिए जिसने 100 बोरी गेहूँ, गुड़, बाजरा आदि खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी।
   जोधपुर राज्य की ख्यात, जिल्द – 1 पृ. 88
   इस प्रकार जहाँगीर के काल में 1617–18 ई. मे पड़े अकाल के समय बीकानेर को महाराजा सूरसिंह (1613–31 ई.) ने सहायता उपलब्ध करवाई। जिसमें 4 मन गेहूँ, 2 मन बाजरा, ज्वार, तिलहन आदि खाद्य सामग्री तथा 5,000 रुपये की राशि दरगाह को भेंट की। वकील रिपोर्ट्स 5 नवम्बर, 1618 ई.
   1666 ई. में अजमेर को वाकिया नवीस हजरत अब्बास द्वारा प्रेषित अजमेर में अतिवृष्टि के कारण हुई तबाही की सूचना मिलते ही औरंगजेब ने आमेर व मारवाड़ के महाराजाओं को सैनिक सहायता भेजने के लिये भी कार्य किया। जिसके लिए केन्द्र से 15,000रूपये राशि की व्यवस्था की गई थी।
   अखबार–ए–दरबार–ए–मुल्ला, 2 रबि उससानी जुलुस 10द्द2 अक्टूबर 1667
   1692 में अनावृष्टि के समय भी औरंगजेब ने निशान व फरमान जारी कर जागीरदारों – जमीनदारों तथा फौजदारों को लगान वसूल नहीं करने के निर्देश दिये तथा आवश्यक वस्तुएं सुलभ कराने को लिखा।
   फरमान 109/78, 8 जमादि उस्मानी सन 1102/3 अक्टूबर, 1692
7. *अबुल फजल, पूर्वउद्धृत, पृ. 208*
   मोरलैण्ड, डब्ल्यू. एच. : अकबर टू औरंगजेब पृ. 281
   लाहौरी, अब्दुल हमीद, पादशाहनामा. भाग 3 पृ 73
   मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, पृ. 157 –58
   फारुकी, जहीरूद्दीन : औरंगेजब एण्ड हिज टाइम्स, लखनऊ, 1986 ए. 219
8. *(i) जहाँगीरय तुजुक–ए–जहाँगीर, पृ. 161*
   (ii) अखबारात–ए–दरबार–ए–मुल्ला, 23 रबि उल अव्वल जुलस 9/6 सितम्बर 1666ई. में औरंगजेब ने अजमेर के निकटवर्ती गांव सरवाड़ की 80 बीघा जमीन खादिम शाहिट मुराद को मदद–ए–माशा के अन्तर्गत प्रदान की। जिससे प्रतिवर्ष 15 व 16 हजार तक की आय दरगाह में होने लगी थी।
   (iii) ब्रुक्स, जे.सी. : अजमेर प्रान्त की जागीर कमेटी रिपोर्ट, 16 मई 1874,
   (iv) दरगाह कमेटी फाईल्स न. 78/05, दिसम्बर, 1860 पृ. 8
9. *सांडर्स, एल. एस., ए रिपोर्ट ऑफ भोम कमेटी, अजमेर, दिसम्बर, 1873, पृ. 4*
10. *उपर्युक्त, पृ. 4*
11. *उपर्युक्तय पृ. 4–5*
12. *उपर्युक्त पृ. 5*
13. *अजमेर अधीक्षक एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड आक्टरलोनी को राजस्व आय सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रेषित की, 27 सितम्बर 1818, पत्रक्रमांक 18/7*

14. अबुल फजल, पूर्व उद्धृत, पृ. 211
15. शर्मा गोपीनाथ, पूर्व उद्धृत, पृ. 292
16. लाटशू जे.डी. : सेटल्मेन्ट रिपोर्ट ऑफ अजमेर – मेरवाडा, 1874. प. 75
17. (i) उपर्युक्त, पृ. 79
(ii) हजीज, अब्दुल मौलाना. रेवेन्यू सिस्टम ऑफ राजपूताना (1800–1850) पृ. 212
18. उपर्युक्त, पृ. 213
19. अबुल फजल, पूर्व उद्धृत
20. (i) तुजुक–ए–जहाँगीर पृ. 192
(ii) फ्रांसिको पलसर्ट; जहांगीर इण्डिया, अनुवाद, मौरलैण्ड लन्दन,1923,पृ.181– 82
21. (i) फरमान 72/64, जमादि उस्मानी सन् 1076 हिजरी /सितम्बर, 1666ई.
(ii) खाफीखाँ, य मुन्तखब–उल–लुबाव, इलिइट एण्ड डाउसन, भाग–7 पृ. 104
22. बरनी, जियाउद्दीन; तारीख–ए–फिरोजशाही, पृ. 298
23. (i) अब्दुल कादीर बंदायूनी ने अपनी रचना मुन्तख्या–उल–तबारिख, भाग–1 . पृ.192
इसमें अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति का समय मार्च, 1579 उल्लेखित किया है। जबकि अबुल फजल मार्च, 1564 ई. ही बताते हैं।
(ii) अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति का कारण है कि अकबर पैगम्बर शासक का रूतबा (पद) प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था।
स्मिथ, वी.; अकबर द ग्रेट मुगल, आक्सफोर्ड, 1919, पृ. 233
इरविन; लेटर मुगल्स, भाग 1, कलकत्ता, 1952, पृ. 28
कुरेशी, आई.एच. का मत है कि अकबर धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था।
24. इरविन विलियम; पूर्व उद्धृत, पृ. 28
25. सरकार जदुनाथ, पूर्व, उद्धृत, पृ. 205
26. मोरलैण्ड, डब्ल्यू. एच.; पूर्वउद्धृत, पृ. 233
27. पुष्कर के पंडित श्री राम दीनानाथ तिवारी द्वारा संकलित बही में उल्लेखित है कि अकबर ने 1565 ई. में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के बाद ही लगभग 500 से अधिक यात्री प्रत्येक माह पुष्कर तीर्थराज यात्रा करने लगे थे। जिससे 1400 रुपये प्रतिमाह की आय होती थी। परन्तु, औरंगजेब के काल में जजिया कर को पुनर्स्थापित करने से यात्रियों की संख्या में कमी होने लगी। प्रत्येक माह में मात्र 25–30 यात्री ही पुष्कर पहुँचते थे। बही नं. 28/09, पुष्कर
28. अजमेर अधीक्षक एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड आक्टरलोनी को लिखा पत्र, 27 सितम्बर 1818, पत्र क्रमांक 18/7
29. अमनाइड्स एन.पी.; मुहम्मडन थियरी ऑफ फाइनेन्स, कलकत्ता, 1962 पृ. 203
30. उपर्युक्त, पृ. 204
31. स्मिथ, वी.ए. पूर्वउद्धृत पृ. 247
32. सिद्दीकी.एन.ए.; लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अण्डर द मुगल्स, (1700–1750), अलीगढ़, 1980, पृ. 32
33. तुजुक–ए–जहांगीरी, भाग–2 पृ. 6
34. (i) वकील रिपोर्टस; इलाही 10/24 जुमादा, 1024 हिजरी/11 जून,1615ई.
(ii) सर जदुनाथ सरकार, पूर्वउद्धृत, बम्बई, 1951 पृ. 451
(iii) फोस्टर विलियम; द एम्बेसी ऑफ सर थामस राय टू इण्डिया, लन्दन,1922 पृ.39
35. कुरैशी,आई.एच.; पूर्वउद्धृत, पृ. 103